



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20012022-232787
CG-DL-E-20012022-232787

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 260]
No. 260]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 18, 2022/पौष 28, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 18, 2022/PAUSHA 28, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2022

का.आ. 265(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 7 जुलाई, 2021 में प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2724(अ), दिनांक 7 जुलाई, 2021 को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त करती है।

[फा. सं. एनएच-14013/13/2021-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. सं. 4026(अ), दिनांकित 20 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे अंतिम बार अधिसूचना का.आ. सं. 2724(अ), दिनांकित 7 जुलाई, 2021 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2022

S.O. 265(E).—In exercise of powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Road

Transport and Highways, number S.O. 2724 (E), dated the 7th July, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 7th July, 2021, with immediate effect.

[F. No. NH-14013/13/2021-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

Note: The principal notification was published vide number S.O. 4026 (E), dated the 20th August, 2018 and was last amended vide number S.O. 2724 (E), dated the 7th July, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2022

का.आ. 266(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में कार्य प्रत्येक राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा इस शर्त के अधीन पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, नामतः:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 30 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

सारणी

(1)	(2)	(3)
“30	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 208ए [किमी. 0.00 से किमी. 45.00 (कैलाशहर से कुर्ती पुल त्रिपुरा/ असम सीमा खंड) तक को छोड़कर] के उतने भाग जो त्रिपुरा राज्य में अवस्थित हैं।	त्रिपुरा राज्य सरकार”

[फा. सं. एनएच-14013/13/2021-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसे पिछली बार अधिसूचना सं. का.आ. 5441(अ), दिनांकित 28 दिसंबर, 2021 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2022

S.O. 266(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 30 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

Table

(1)	(2)	(3)
“30	So much of National Highways, No. 208A [excluding from Km. 0.00 To Km. 45.00 (Kailashahar to Kurti bridge Tripura/Assam border Section)] as are situated within the State of Tripura.	State Government of Tripura”.

[F. No. NH-14013/13/2021-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

Note: The principal notification was published vide number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 5441(E), dated the 28th December, 2021.